eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

भारत में ट्रांसजेण्डर्स के सामाजिक कानूनी अधिकार

[1]डॉ0 दिनेश कुमार
[1]असि0 प्रोफेसर अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय हरीपुर निहस्था, रायबरेली (उ0प्र0)

Received: 31 August 2023 Accepted and Reviewed: 31 August 2023, Published : 10 September 2023

Abstract

भारतीय समाज में ट्रांसजेण्डर को किन्नर, हिजड़ा, छक्का, मीठा, आदि नामों से बुलाते हैं। ये ऐसे इंसान होते है जो न तो पूरी तरह से स्त्री होते है और न ही पुरूष हमारे समाज में केवल खुद की पहचान पर चर्चा की जाती है, ट्रांसजेण्डर समुदाय को किसी भी प्रकार की इज्जत नहीं दी जाती है। जिसकी वजह से यह समुदाय अपने आपको अलग महसूस करता है। उन्हें अक्सर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। जिससे कई लोग भीख मांगने तथा नाचने गाने के व्यवसाय में शामिल हो जाते हैं। कभी–कभी अपने जीवन यापन के लिए उन्हें सेक्सवर्कर का कार्य भी करना पड़ता है। इनके लिए सरकारी कानून का कागज हाथ में थमा देने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक इनके समाजिक अधिकार सुनिश्चित न हो।

मुख्य शब्द–ट्रांसजेण्डर, तृतीयक लिंग, ट्रांस पुरूष, ट्रांस महिला।

Introduction

प्रायः भारतीय समाज में स्त्री तथा पुरूष दो ही लिंग को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन कानून के कागज पर तीसरे लिंग को भी इन दो लिंगों के साथ महत्व प्राप्त है। जिस प्रकार प्राकृतिक तरीके से स्त्री तथा पुरूष का जन्म होता है उसी प्रकार तृतीयक लिंग के लोग भी जन्म लेते हैं। तृतीयक लिंग की सामाजिक लड़ाई अभी जारी है क्योंकि समाज में लोग इन्हें अलग तरह से देखते हैं, वे इन्हें अपने से अलग समझतें है, क्योंकि प्राचीनकाल से ही स्त्री तथा पुरूष समाज के अभिन्न अंग रहे हैं। स्त्री तथा पुरूष को एक दूसरे का पूरक समझा जाता है तथा कहा जाता है कि विवाहोपरान्त दोनों वंश को आगे बढ़ाते है जबकि तृतीयक लिंग के लोग ऐसा नहीं कर सकते है इसीलिए भारतीय पितृसत्तात्मक समाज इन्हें अपने से अलग समझता है। प्रस्तुत अध्ययन में इस बात को समझाने की कोशिश की गयी है कि स्त्री तथा पुरूष के साथ–साथ तृतीयक लिंग के लोग भी समाज में समान अधिकार के

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

पात्र हैं, उन्हें अलग तो बिल्कुल भी नही समझना चाहिए। एक जैसी भावनाएं सभी के अन्दर पाय जाती है, सभी अपनी–अपनी जगह खुश रहना चाहते हैं, खुश रहने के तरीके भले ही अलग हो सकते हैं। दुःख मुसीबत सबको समान तरीके से झेलना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नही है कि किसी का दुःख ज्यादा या कम हो सकता है। प्रकृति ने सभी प्राणी समान अधिकार के पात्र हैं चाहे वो स्त्री, पुरूष, तृतीयक लिंग या जीव जन्तु ही क्यों न हो। प्रकृति में जितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं वे सभी के लिए हैं किसी एक के लिए नहीं है।

इस समुदाय को शामिल किये बिना ''हम भारत के लोग के विचार को वास्तविक तत्वार्थ पूरा नहीं होगा। भारत सही मायने में भारत तब होगा जब तीनों लिंग को एक समान समझा जायेगा, कागज में ही नहीं अपने मन में भी इन्हें स्थान देना होगा। प्रस्तुत अध्ययन इसी जद्दोजहद की व्याख्या करने कोशिश करता है।

परिकल्पना–

H_0 : ट्रांसजेण्डर को कानूनी अधिकार प्राप्त हैं।

H_1 : ट्रांसजेण्डर को सामाजिक समानता नहीं प्राप्त हैं।

अध्ययन के उद्देश्य–

1. प्रायः स्त्री और पुरूष के साथ–साथ कानूनी तौर पर तीसरे लिंग को मान्यता प्राप्त है।
2. प्राकृतिक रूप से स्त्री, पुरूष, ट्रांसजेण्डर सभी एक समान है।
3. प्रायः देखा जाता है कि लोग तीसरे लिंग को अलग नजरिये से ही देखते हैं।
4. समाज का एक बड़ा भाग तीसरे लिंग को हेय दृष्टिकोण तथा उनका मजाक बनाता दिखायी पड़ता है।

साहित्य समीक्षा–

- अंकित कुमार, शोध छात्र पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर राजस्थान भारत ने–''भारतीय ट्रांसजण्डर एक विरोधाभाषी पहचान वाला सीमांत समुदाय'' विषय पर अपना अध्ययन किया तथा कहा कि ट्रांसजेण्डर पहचान के रूप में समाज में संकट का सामना करते हैं, इनको सामाजिक तथा सांस्कृतिक भागीदारी से भी बाहर रखा जाता है। हम सभी को ट्रांसजेण्डर सामुदाय के साथ बड़े भेदभाव को रोकने के लिए इन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने में एक नजर डालने की आवश्यकता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

- डिसेंट कुमार साहू–सम्पादक, अपनी माटी सोमवार नवम्बर 01,2021 ने अपने आलेख ''लॉकडाउन में ट्रांसजेण्डर सामुदाय के समाजर्थिक और स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन'' में कहा कि कोविड–19 के संक्रमण को रोकने के लिए लगाये गये अप्रत्याशित लॉकडाउन ने ट्रांसजेण्डर समुदाय को बुरी तरह से प्रभावित किया, पहले से ही यह समुदाय समाज के हाशिये पर है, इस महामारी ने इस समुदाये के सामने चुनौतियों को बढ़ाया ही है। समुदाय के लोग भिक्षावृत्ति, बधाई, यौनकार्य या कम वेतन वाली निजी नौकरियों में लगे हुये थे जिनमें से अधिकांश ने अपनी आजीविका के साधन को खो दिया।
- इण्डिया टुडे वेब डेस्क नई दिल्ली 27 जनवरी 2020, 12:25 IST अपने आलेख शीर्षक, ''भारत में ट्रांसजेण्डर और रोजगार : ट्रांसजेण्डर्स के लिए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं।'' में कहा कि एक समाज के रूप में बदलाव की शुरूआत परिवार के स्तर से होनी चाहिए बच्चों को ऐसी शिक्षा की जरूरत है कि कैसे ट्रंस लोग हमारे जैसे ही आकांक्षाओं और सपनों वाले लोग है। हमे अपने समाज में उनके साथ समान व्यवहार करके उन्हें और अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है।
- अंकित गंगवाार शेध छात्र दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) आगरा उ0प्र0 ने अपने शोध पत्र–''भारत में किन्नर (ट्रांसजेण्डर) शिक्षा : शैक्षिक स्थिति, समस्या और सुझाव'' में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जब समावेशी शिक्षा की बात करते हैं जिसमें महिला, पुरूष, सामान्य विद्यार्थियों विभिन्न दिव्यांगों आदि को एक ही साथ शिक्षा देने की बात करते हैं। लेकिन कहीं भी समावेशी शिक्षा में किन्नर (ट्रांसजेण्डर) लोगों को एक साथ शिक्षा देने की बात नहीं होती है, किन्नर समुदाय को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शामिल किये बिना समावेशी शिक्षा की संकल्पना आधूरी ही रहेगी। ट्रांसजेण्डर समाज का अभिन्न अंग हैं जिस प्रकार हम सामान्य बालकों के साथ समान व्यवहार करते हैं उसी प्रकार तीसरे लिंग के प्रति समान व्यवहार रखा जाये।

इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से पता चलता है कि इतनी जागरूकता, कागजों पर तीसरे लिंग के कानूनी अधिकार सब रखे रह जाते हैं क्योंकि हमें बड़े स्तर पर सामाजिक तौर पर तीनों प्रकार के लिंग को बराबर देखने की आवश्यकता है। शोधकर्ता द्वारा इन अध्ययनों

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

से जुड़ते हुए प्रस्तुत शोध पत्र में ट्रांसजेण्डर के सामाजिक और कानूनी अधिकारों की बात की गयी है।

शोधविधि–

प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण के आलोक में विभिन्न पुस्तकें, शोधपत्र तथा वेबसाइट श्रोत में प्रकाशित द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

ट्रांसजेण्डर–

ट्रांसजेण्डर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है Trans + Gender, जिसमें Trans का अर्थ है–के परे, दूसरे स्थान पर या दूसरी अवस्था में तथा Gender का अर्थ लिंग होता है। अर्थात ट्रांसजेण्डर शब्द का अर्थ ''दूसरी अवस्था में लिंग'' है। किसी ट्रांसजेण्डर मनुष्य की पहचान ट्रांस महिला तथा ट्रांस पुरूष तौर पर की जाती है। ऐसा पुरूष जिसने महिला के रूप में जन्म लिया था लेकिन उसे पुरूष के तौर पर पहचाना जाता हो उसे मेल ट्रांसजेण्डर कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी महिला जिसने पुरूष के रूप में जन्म लिया था लेकिन उसे महिला के तौर पर पहचाना जाता हो उसे फीमेल ट्रांसजेण्डर कहते हैं।[1]

श्रोत–Transgenders in India- History of community, Types and laws applicable to them - TheLawmatics

भारत सरकार के ट्रांसजेण्डर पर्सनल बिल 2016 के अनुसार ये न तो पूरी तरह से महिला और न ही पुरूष, ये महिला और पुरूष दोनों का संयोजन हैं। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति का लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता हो ये ट्रांस मेल या ट्रांस फीमेल होते हैं।

भारत का ट्रांसजेण्डर अधिनियम 2019–

26 नवम्बर 2019 को ट्रांसजेण्डर अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, जिसका उद्देश्य इनके अधिकारों तथा कल्याण की रक्षा करना है इसके अतिरिक्त ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल (NPTP) शुरू किया गयाा जिससे लोग ट्रांसजेण्डर आई0डी0 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें। यह अधिनियम ट्रांसजेण्डर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय लिंग से मेल नहीं खाता है, जिसमें ट्रांस पुरूष, ट्रांस महिला लिंग व्यक्ति और इण्टरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति शामिल है। यह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक शौचालयों तथा सार्वजनिक परिवहन जैसे–सार्वजनिक

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

स्थानों तक पहुँच में ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को भी प्रतिबन्धित करता है। ट्रांसजेण्डर अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसके लिए उन्हें किसी चिकित्सा प्रमाण पत्र या सर्जरी की आवश्यकता नहीं है इसके बिना भी उन्हें आत्म पहचान का अधिकार है। अधिनियम के तहत वह अपनी पहचान के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो उनकी लिंग पहचान को मान्यता देगा और उन्हें भारत सरकार द्वारा मुहैया करायी जाने वाली विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं और अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति देगा।[2]

एलजीबीटीक्यूआईए (LGBTQIA) –

समलैंगिकता अब अपराध के श्रेणी में नहीं है, 6 सितम्बर 2018 को धारा 377 को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो चुका है इस समुदाय को LGBTQIA कहते हैं। जिनकी पहचान कुछ इस प्रकार है।[3]

L**(लेस्बियन)**–

जब दो महिलाएं एक दूसरे की ओर यौन आकर्षित होती है, आपस में प्यार करती है सम्बन्ध बनाना चाहती है तो इन्हें लेस्बियन कहते है।

G**(गे)**–

जब दो पुरूष एक दूसरे की ओर यौन आकर्षित हो तथा आपस में प्यार करें तो इन्हें गे कहेंगे।

B**(बाइसेक्सुअल)**–

जब कोई पुरूष, पुरूष तथा महिला एवं कोई महिला, महिला तथा पुरूष दोनों की ओर यौन आकर्षण रखते हों तो इन्हे उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं।

T**(ट्रांसजेण्डर)**–

ट्रांसजेण्डर की विस्तृत चर्चा ऊपर की जा चुकी है।

Q**(क्वीर)**–

सम्पूर्ण LGBTQIA समुदाय को क्वीर शब्द से सम्बोधित किया गया है।

I**(इण्टरसेक्स)**–

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

ये भी ट्रांसजेण्डर की ही तरह होते है जिनके जन्म के समय उनके लिंग की पहचान महिला या पुरूष के रूप में करना कठिन होता है।[4]

A(असेक्सुअल)–

ऐसे व्यक्ति यौन आकर्षण महसूस नहीं कर पाते।

ट्रांसजेण्डर्स का सामाजिक भेदभाव–

प्राचीनकाल से ही भारतीय समाज में स्त्री तथा पुरूष दो ही लिंग को सर्वोपरि रखा गया है, भारतीय समाज पुरूष प्रधान की सोच रखता है विवाह संस्कार समाज का उच्च संस्कार माना जाता है जिसमें स्त्री तथा पुरूष वैवाहिक बंधन में बन्धते हैं ताकि परिवार को आगे बढ़ाकर वंश की रक्षा की जा सके, लेकिन यह बिल्कुल बेबुनियाद है क्योंकि वैज्ञानिक रूप से सभी मानव की उत्पत्ति एक ही श्रंखला से हुई है। सम्यता के विकास के साथ–साथ सोंच बदलती गयी है जिसके तहत तीसरे लिंग समुदाय को जैसे समाज देखना ही नहीं चाहता है। अगर कोई सामान्य स्त्री तथा पुरूष के व्यवहार से परे शारीरिक बनावट, बोल चाल, चलना फिरना आदि में अलग दिखायी पड़ता है तो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हें–मीठा, हिजड़ा, छक्का, जाने कौन–कौन से नाम देते है तथा हँसी का पात्र बना देते हैं, जिससे उनकी जिन्दगी कितनी जटिल हो जाती होगी यह व्यक्तिगत स्तर पर ही महसूस किया जा सकता है। इन्हीं समस्याओं के चलते, अधिक बहिष्कार, बेरोजगारी, शैक्षिक तथा चिकित्सा सुविधाओं की कमी, शादी व बच्चा गोद लेना आदि के बीच इनकी जिन्दगी उलझी रहती हैं।

ट्रांसजेण्डर्स के कानूनी अधिकार–

ट्रांसजेण्डर को सामाजिक अधिकार प्राप्त हों या न हों लेकिन प्रकृति इन्हें बराबरी का ही दर्जा देती है और यह स्वस्थ्य अवधारणा समाज को इनके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और काफी हद तक लोग इस बात को स्वीकार भी करने लगे है। भारत सरकार द्वारा ट्रांसजेण्डर्स को कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, वो चाहे अनुच्छेद–21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, वर्ष 2018 में धारा 377 कर हटना या फिर ट्रांसजेण्डर अधिनियम 2019 हो। यह सभी कानून समाज को आईना दिखाने के लिए काफी है।[5]

निष्कर्ष एवं सुझाव–

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि ट्रांसजेण्डर्स का जन्म स्त्री तथा पुरूष के समान ही होता है। उन्हें अपनी पहचान के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, भले ही उनके हाथ में अधिकार और समानता का कानूनी कागज हो लेकिन समाजिक बहिष्कार की पीड़ा उन्हें सहनी पड़ती है, समुदाय हमेशा से जो सामाजिक हाशिये पर रहा है लेकिन अब समाज को पूरी तरह से बदलना होगा उन्हें वे सारे अधिकार देने होंगे जो समाज में स्त्री तथा पुरूषों को प्राप्त हैं। तभी सही मायने में इंसानियत की जीत और खुशहाली की स्थापना होगी, ट्रांसजेण्डर शिक्षा को बच्चों के कोर्स में शुरूआत से शामिल किया जाना चाहिए ताकि बड़े होकर वे अपनी ही तरह इन्हें समझें बच्चों को कुछ भी अजीब न लगे।

सन्दर्भित–

1. Kulhaiya news by dr. MS Nashtar/16 July 2023
2. hhtps://www.jagran.com>news>na...
3. aajtak.in प्रियंका शर्मा 09 सितम्बर 2018 अपडेटेड 4:21 pm IST
4. https://lgbtqia.ucdavis.edu>educated
5. https://hindi.ipleaders.in>law